

एक नजर

दो बाइक की भिड़ंत में एक की मौत

—भारतीय बस्ती संवाददाता बस्ती। गुरुवार शाम लालगंज थाना क्षेत्र के राम-जानकी मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान नरन थाना क्षेत्र के चारनपुर निवासी बदल के रूप में हुई है। उनके साथ उनका पुत्र दिनेश भी दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार था। यह दुर्घटना चकिया गांव स्थित गांधी आश्रम के पास हुई।

सीतारपुर जिले के सकलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नकला गांव निवासी अरबी और शमशुद्दीन एक अन्य मोटरसाइकिल पर बेइशतरी बेककर उरुवा बाजार से लौट रहे थे। शाम करीब चार बजे उनके मोटरसाइकिल की सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी।

सूचना मिलने पर लालगंज पुलिस मोक पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से बहारा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा पहुंचाया। शिकस्तियों ने जांच के बाद बरल को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल अरबी और शमशुद्दीन की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें ग्रामिक उपचार केंद्र बाद जिला अस्पताल रुम्ह कर दिया गया है। दिनेश का भी उपचार जारी है।

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

टावर पर चढ़कर हंगामा करने वाले युवक को पुलिस ने भेजा जेल


—भारतीय बस्ती संवाददाता—बस्ती। हरिया थाना क्षेत्र के ग्राम खमरियासुजात में जिओ टावर पर चढ़कर हंगामा करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में जिओ टावर कंपनी के सिलाफ को सुरक्षा में लापरवाही बरतने का मुकदमा दर्ज किया है। यह घटना 3 जून की शाम को हुई, जब घटना खमरियासुजात निवासी जन्मेजय सिंह शराव के नशे में गांव के बाहर स्थित जिओ टावर पर चढ़ गया। उसने टावर से कुदने की धमकी दी और लोगों को उकसाने वाले शब्दों का प्रयोग किया।

सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। काफी प्रयासों के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि युवक का अपने बड़े भाई दिवाकर सिंह से जमीन और पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद और कुछ लोगों के उकसाने पर चढ़ा और अपने भाई से पैसे की मांग करने वाला युवक को नीचे उतारने के बाद हरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका चिकित्सीय प्रस्ताव कराया गया। प्रामाणिक तहसीलदार सिंह ने बताया कि जन्मेजय सिंह उर्फ चंनू सिंह और जिओ टावर कंपनी के सिलाफ बहारा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। युवक को न्यायालय में कोर्टाई पर जेल भेज दिया गया है।

काँकरोच जनता पार्टी ने नहीं लिया 6 जून के प्रदर्शन की इजाजत

नई दिल्ली (आम।) काँकरोच जनता पार्टी लगातार 6 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन पर जोर दे रही है। लेकिन अभी तक पार्टी ने प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत नहीं ली है। इस फैसले को लेकर पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि अभिजात दलिके 6 जून को सुबह परमीशन लेगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुर्यकांत के एक लेख से संश्लस मीडिया पर पैदा हुई काँकरोच जनता पार्टी 6 जून को राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी की तरफ से बताया गया है कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य शिक्षा मंत्री एमई प्रजापत को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना है। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 6 जून को होने वाले इस प्रदर्शन के लिए पार्टी ने अभी तक पुलिस की अनुमति नहीं ली है। आम तौर पर ऐसे किसी भी प्रदर्शन के लिए करीब एक हफ्ता पहले पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती



है। पार्टी के संस्थापक अभिजात दलिके ने 6 जून के प्रदर्शन का ऐलान काफी पहले कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी परमीशन नहीं ली गई। सीजेजे का कहना है कि वह 6 जून को ही प्रदर्शन की परमीशन लेगी।

इस मुद्दे पर जब पार्टी के नव नियुक्त प्रवक्ता विजेता देहिया ने प्रदर्शन की अनुमति न लेने को भी स्पष्टीकरण का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, 'लोगों की भावनाएं इस

जस्टिस सुर्यकांत के लेख से संश्लस मीडिया पर पैदा हुई काँकरोच जनता पार्टी के अभी तक 22 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। ऐसे में इसके संस्थापक अभिजात दलिके ने 6 जून को दिल्ली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। दलिके ने अपने संश्लस मीडिया साइट पर बताया था कि वह शनिवार को अमेरिका से वापस आएं और उसके तुरंत बाद ही परमीशन लेने के लिए कहा है पार्टी के ब्याज के मुताबिक, काँकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजात दलिके शनिवार सुबह करीब 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर सोनन वांगरक सहित कई समर्थक उनका स्वागत करेगे। इसके बाद समर्थकों के साथ दलिके जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन की इजाजत लेने के लिए संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे।

खाद्य एवं रसद मंत्री डॉ. मनोज से शिबलू पाण्डेय ने किया शिष्टाचार भेंट



—भारतीय बस्ती संवाददाता—बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र कुमार पाण्डेय शिबलू ने प्रदेश के खाद्य एवं रसद कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय से उनके लखनऊ स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट किया। उन्हें भवान परशुराम का चित्र और पुष्पमच्छ भेंट कर मंत्री और सिलातु जगमद का न्याय न मिला तो गांव से ही उजड़ जाना पड़ेगा एस्परी से जबरिया जमीन से कब्जा हटवाने की मांग

प्रामाणी बनाये जाने पर प्रस्तुता व्यक्त किया (यहां जारी एक विज्ञापित के माध्यम से भाजपा नेता अमरेंद्र कुमार पाण्डेय शिबलू ने कहा कि डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय जमीनी नेता हैं और निश्चित रूप से खाद्य एवं रसद के कार्यों में और तेजी आगे बढ़ेंगे, प्रवेश की जनता तक कल्याणकारी योजनाओं का प्रामाणी लाभ पहुंचाएंगे।

न्याय न मिला तो गांव से ही उजड़ जाना पड़ेगा एस्परी से जबरिया जमीन से कब्जा हटवाने की मांग

—भारतीय बस्ती संवाददाता बस्ती। दुबौलिया थाना क्षेत्र के हंगारपुर निवासी दलित मालती देवी पत्नी शोभानाथ ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर अपने उपभोग वाले घर को गांव के ही दबंगों से बचाने की गुहार लगाया है। मालती देवी के अनुसार न्याय न मिल तो उसे गांव से ही उजड़ जाना पड़ेगा। मालती लगातार ग्रामिण जा पढ़कर थक चुकी है। उसके पति परदेश में हैं और अब उसे डर संता रहा है कि दबंग उसके गांव से बाहर जाने को मजबूर न कर दें।

एस्परी को दिये पत्र में मालती देवी ने कहा है कि वह गाटा संख्या 729 में उपभोगस्थ मकान और सहन बनाने रह रही है। गांव के ही अमिलाय यादव, बाबूलाल, शिवलाल और इनके बेटे की आरंभ उसके मकान और सहन पर जबरिया

बंधे के किनारे खेत में नग्न अवस्था में मिला कोटेदार का शव, हत्या की आशंका

—भारतीय बस्ती संवाददाता—बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र के जयरापुर गांव के निकट गुरुवार सुबह बंधे के किनारे खेत में एक शव मिलने से सनसनी फेल गई। शव के आसपास ही कुछ दूरी पर एक फल्लर मोटरसाइकिल भी लावारिस हालत में पाई मिली। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई।

ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर थाना प्रामाणी विनय कुमार पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल पर खड़ी मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर जांच-पड़ताल की, जिससे पता चला कि वह नरन कोतवाली थाना क्षेत्र के देवराय की है।

पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों एवं ग्रामीणों ने शव की पहचान मदन जयसवाल (38 वर्ष) पुत्र राम औतार जयसवाल निवासी देवराय के रूप में की। मृतक गांव का कोटेदार, बीडीसी सदस्य तथा प्रामाणी डीलर का कार्य करता था।

परिजनों ने घटना को सदिये बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि मृतक का कोटे दो लेकर कुछ लोगों से विवाद

केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर होंगे विविध आयोजन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—बस्ती। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद बस्ती में 05 जून से 21 जून 2026 तक विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास प्रदर्शनी, जनसभाएं, स्वास्थ्य शिविर, किसान सम्मेलन एवं योग दिवस सहित विविध विधिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती द्वारा कार्यालय आदेश जारी कर कार्यक्रमों के सफल एवं प्रभावी संचालन हेतु अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, योजनाओं एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा आमजन के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रमों के सफल एवं संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

होटल में अग्निकांड: मालिक पुलिस हिरासत में : सरकार ने किया मुआवजे की घोषणा

नई दिल्ली (आम।) दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया था। एक आईएनए दर्ज होने के बाद से आरोपी मालिक फरार था। कोर्ट ने होटल के मालिक को बाढ़ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करेगी।

मालवीय नगर के भीषण अग्निकांड के मामले में साकेत जिला अदालत ने होटल मालिक और आरोपी लक्खेश बजाज को बाढ़ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

नाथिक मजिस्ट्रेट नारायण प्रताप सिंह की अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस अजीबो की स्वीकार कर लिया, जिसमें आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि मालिकों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी से हिरासत में भेजा जा रहा है।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें धारा 105 (गैर इरादत) धारा 326(बी) (आम से मुकामन पहुंचाने), धारा 324 (6) (संपत्ति को नुकसान), धारा 125ए व 125बी और धारा 287 (आम से संबंधित तालपट्टाई) शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि हिरासत के दौरान आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि हादसे के पीछे लापरवाही या अन्य कोई बड़ा जल्मियेदार थी या नहीं।

कुल मृतकों में 12 लोग विदेशी तो 9 भारतीय हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो मौजूद हैं जिनमें लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इमारत से कूदते हुए देखा जा



सकता है। कई लोग इस दौरान मरद के लिए बिल्दा रहे थे जिनमें से कई लोगों की मालद स्थानीय लोगों ने भी की। होटल के ठीक सामने मौजूद एक गधे की दुकान के मालिक ने तो अपने 20-25 गधे होटल के ठीक नीचे छिपा दिए थे। बताया जा रहा है कि गधे पर कूदकर करीब 8 लोगों की जान बचाई गई।

भीषण अग्निकांड के बाद साकेत स्थित मेन्स अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना।

राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने किया उम्मीदवारों की घोषणा

नई दिल्ली (आम।) भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रिक्रिड राजसभा की सीटों के लिए कैंडिडेट्स उतारे हैं। इसमें राजस्थान से सतीश पुनिया, मध्य प्रदेश से तरुण चुघ संमत तामम दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है।

भाजपा ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न प्रदेशों में होने वाले राज्यसभा चुनाव एवं ओडिशा से उम्मीदवारों के लिए नामों पर स्वीकृति दी है। अरुणाचल प्रदेश से ताई गिगाक को उम्मीदवार बनाया है, जबकि गुजरात से राजभरौ शुक्ला, मुकेशराई रावदा और मनसिंह परमार पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इसके अलावा, मध्य प्रदेश से तरुण चुघ और राजनीश अग्रवाल मेदान में होंगे। वहीं, मणिपुर से शारदा देवी, राजस्थान से अलका गुर्जर और सतीश पुनिया को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा, बीजेपी ने 2026 के उपचुनाव के लिए ओडिशा से देव्याश्री सामंतय को टिकट दिया है।

रेलवे स्टेशन पर अवैध धन उगाही का विरोध किया तो पत्रकार को मिली जान से मार देने की धमकी

—भारतीय बस्ती संवाददाता—बस्ती। रेलवे स्टेशन पर अवैध धन उगाही का विरोध करने से मनामीने धन उगाही से संबंधित समाचार का संस्करण करने गधे पत्रकार को धमकी देने के मामले में इन्डियन कॉन्सिल ऑफ प्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश प्रसाद मिश्र और उपाध्यक्ष सीरस वी.पी. वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को समर्थित ज्ञापन सौंपा। सीटी को सौंपा। मांग किया कि प्रकरण की जांच कराकर कार्यों के विरुद्ध आगे प्रामाणी कार्यवाही किया जाय।



सी.ओ. तिदी के सौंपा ज्ञापन, वीएचपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग —भारतीय बस्ती संवाददाता

सौंपे ज्ञापन में इन्डियन कॉन्सिल ऑफ प्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश प्रसाद मिश्र ने कहा है कि वे कबीर बस्ती सनायिक समाचार पत्र का सम्पादक हैं। 3 जून को दोपहर उनको मोबाइल पर एक सूत्र नाम के लड़के ने फोन किया कि रेलवे स्टेशन बस्ती के कैम्पस में 2000 कूट व्यक्तित्व द्वारा जबरदस्ती अपना कूट ले लिया गया है, मना करने पर वसूली करने वाला व्यक्ति नारा पीट पर अनादा है। इस सूचना पर वे रेलवे स्टेशन बस्ती कैम्पस में पहुंचे, लड़के सूत्र से मुलाकात हुई, उसने एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया कि वही आदमी पेशा घना है। उन्होंने वसूली करने वाले व्यक्ति से पूछा की आप ने किस बात का पेशा लिया है और लिया है तो आपने कोई रसीद दिया है की नहीं? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं रसीद नहीं दिया जाता हर आने जाने वाले वाहन को 200 से लेकर 500 तक रुपये देना ही होता है इसमें कोई कूट नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा आप का ठेकेदार कौन है? तो उस व्यक्ति ने पता/अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि पितया यादव जीओआरपीओ के सिपाही है उन्ही के निर्देश पर ये वसूली की जाती है। यह सुनकर वे बाईक से जीओआरपीओ धाके तरफ जा रहा थे कि रस्ते में मौजूद गुजरा टाइप व्यक्ति ने रोका मंदी-मंदी गालिया देते हुए बाढ़ भड़ोड़ अपने गुर्गों को ललकारने लगा की यह प्रेत वाला

किया जाता है। मार कर के प्रस्ताव हाहा पर लौट दो इतना ही नहीं उस व्यक्ति ने सम्पादक के अगले पहिये में डंडा डालकर बाईक को रोक लिया और भूदरी-दूरी गालिया देते हुए बाईक की चामी और बाईक के डिग्री में रखा पीपेटिया डायरी निकाल लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि आप को लमा कि अब प्राण घालक हमला हो जायेगा और लोग उन्हें मार खलेगे इसके देखते हुए प्राणी बाईक छोड़कर जीओआरपीओ थाने के तरफ भागे निकला और धाने में मौजूद दरोगा दुरीश को घटना के बारे में बताया कि सभ्योग करते हुए कल गयी की घटना स्थल जीओआरपीओ थाने के नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि रेलवे स्टेशन बस्ती के परिवर्तन में अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है और यही लोग सम्मान यात्रियों एवं टिकट व टैगो चालकों को प्रताड़ित करते हैं और मार पीट कर 200 से लेकर 500 तक की वसूली नियमित शानित रहे।

सामुदायिक भवन निर्माण की 1.25 करोड़ रुपये का गबन: चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, जांच शुरू

—भारतीय बस्ती संवाददाता—बस्ती। सामुदायिक भवन निर्माण परियोजना में 1.25 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगा है। शहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ जासूसी/आर और धमकी देने सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, बस्ती स्थित खाते से निकाल लिए गए। आरोप है कि बनराशि निकालने के बाद निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने भारतीय कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लालबाग, के अनुसार, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृत 1.25 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, ब

